



न्यायालय

## सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-99 / 2021

दर्ज तिथि:-30.12.2021

1. चौखाराम पुत्र रूपाराम  
जाति मेघवाल निवासी राणासर कला तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर  
.....वादी

बनाम

1. तारी देवी पत्नी धनाराम(विलोपित)
2. दिनेश कुमार पुत्र धनाराम नाबालिग की कुदरती वली माता तारीदेवी पत्नी धनाराम (विलोपित)
3. फगलूराम पुत्र मंगलाराम
4. भाणी पत्नी हरचन्द्रराम
5. भीमाराम पुत्र धनाराम नाबालिग की कुदरती वली माता तारी देवी पत्नी धनाराम (विलोपित)
6. सुरेश पुत्र धनाराम (विलोपित)  
जाति मेघवाल निवासी धोरीमाना, पटवार हल्का धोरीमन्ना,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।
7. मोटाराम पुत्र जग्गाराम  
जाति मेघवाल निवासी बाछला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर  
.....असल प्रतिवादीगण
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना।  
.....तकमीली प्रतिवादीगण
9. तेजाराम पुत्र हरचन्द्रराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना
10. ओमप्रकाश पुत्र डालूराम जाति मेघवाल निवासी सुदाबेरी खुर्द तहसील धोरीमन्ना
11. शंकरलाल पुत्र मांगाराम जाति मेघवाल निवासी धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना  
.....असल प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री देवाराम चौधरी

प्रतिवादीगण:-श्री ओमप्रकाश विश्नोई

श्री रामनिवास विश्नोई

दावा अन्तर्गत धारा-88,53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना



-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी एवं प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 5 अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 812/753/0.0776 है0, 813/753/0.2138 है0 वाके ग्राम खरड्ड, पटवार हल्का धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	चौखाराम पुत्र रूपाराम कौम मेघवाल सा. राणासर कला खातेदार	पूर्ण	364 / 4	0.3885	0.12	बा.सो.	हरा
2.	ओमप्रकाश पुत्र डालूराम मोटाराम पुत्र जगराम शंकरलाल पुत्र मांगाराम कौम मेघवाल सा. क्रमशः सुदाबेरी, बाछला, देह खातेदार	10 / 23 10 / 23 3 / 23	363 / 4	0.3724	0.10	बा.सो.	भूरा
3.	फगलूराम पुत्र मंगलाराम कौम मेघवाल सा. पादरडी खातेदार.	पूर्ण	363 / 4	0.1619	0.04	बा.सो.	लाल
4.	तेजाराम पुत्र हरचन्द भाणी पत्नी हरचन्द	2347 / 2589 242 / 2589	364 / 4	0.2589	0.09	बा.सो.	पीला

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। यह निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथप्रसन्न आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर  
धोरीमन्ना-बाड़मेर  
SDO धोरीमन्ना

